

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

एच.आर.श्रीनिवास

सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,

सभी कोषागार पदाधिकारी,

सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक:

विषय: छुट्टी स्वीकृत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के कर्मियों को बिहार सेवा संहिता के नियमों के आलोक में विभिन्न प्रकार की छुट्टी स्वीकृत की जाती है । छुट्टी स्वीकृत्यादेश में इस बात का उल्लेख नहीं रहता है कि उन्हें स्वीकृत छुट्टी को घटाने के बाद और कितनी छुट्टी अदेय (बाकी) है, जो आवश्यक है ।

अतः राज्य सरकार के कर्मियों को जब भी कोई छुट्टी स्वीकृत की जाय तो स्वीकृत्यादेश में अदेय (बाकी) छुट्टी का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एच.आर. श्रीनिवास)

सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक: 03/एफ0-01-04/2008...../वि0 पटना, दिनांक:

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(एच.आर. श्रीनिवास)

सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक: 03/एफ0-01-04/2008...../वि0 पटना, दिनांक:

प्रतिलिपि: महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । ह0/-

(एच.आर. श्रीनिवास)

सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक: 03/एफ0-01-04/2008...../वि0 पटना, दिनांक:

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । ह0/-

(एच.आर. श्रीनिवास)

सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक: 03/एफ0-01-04/2008...../वि0 पटना, दिनांक: 15/7/15

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(एच.आर. श्रीनिवास)

सचिव (संसाधन)